न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 48 / 2014 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. अलादीन पुत्र चौथा जाति सिंधी मुसलमान 2. घेवरराम पुत्र उदाराम जाति ब्राहम्ण, निवासी गिड़ा, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर।	बनाम	1.गंगाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट, निवासी गिड़ा। 2.अली पुत्र चौथा 3.वली पुत्र चौथा 4.मोहम्मद पुत्र चौथा जाति सिंधी मुसलमान, निवासी गिड़ा 5.लक्ष्मणराम पुत्र उदाराम 6.सताराम पुत्र उदाराम 7.डूंगराराम पुत्र उदाराम 8.मगाराम पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राहम्ण, निवासी गिड़ा तहसील बायतु, जिला बाड़मेर। 9.श्रीमान तहसीलदार बायतु, जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु के राजस्व वाद संख्या 102/2012 बअनवान गंगाराम बनाम अलादीन वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2013 के विरूद्ध पेश हुई।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

उपस्थिति

1. वकील श्री भवानी शंकर अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 03.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 98 रकबा 337.04 बीघा ग्राम गिड़ा, तहसील बायतु में आया हुआ है। कि अधीनस्थ न्यायालय में उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंट संख्या 1 का 1/6 हिस्सा का फैसला एकतरफा हो गया है। अपीलांटगण को सुनवाई, जबाव, साक्ष्य का सुमचति अवसर प्रदान किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.06.2013 को डिक्री जारी कर पत्रावली अंतिम रूप से निर्णित कर दी गई। विभाजन प्रस्ताव अपीलांटगण की बिना जानकारी में लाये तैयार किये गये

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी की गई। विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचना नही दी गई एवं तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर नहीं जाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारी भू. नि. व हल्का पटवारी को विभाजन हेतु नियुक्त कर दिया गया। विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तैयार नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंट संख्या 1 का 1/6 हिस्सा का फैसला एकतरफा हो गया है। अपीलांटगण को सुनवाई, जबाव, साक्ष्य का सुमचति अवसर प्रदान किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.06.2013 को डिक्री जारी कर पत्रावली अंतिम रूप से निर्णित कर दी गई। विभाजन प्रस्ताव अपीलांटगण की बिना जानकारी में लाये तैयार किये गये तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी की गई। विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचना नही दी गई एवं तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर नहीं जाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारी भू. नि. व हल्का पटवारी को विभाजन हेतु नियुक्त कर दिया गया। विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तैयार नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी 04.06.2013 को डिक्री पारित कर दी गई जो कि न्यायोचित नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि सारी कार्यवाही एकतरफा हुई है। अपीलांटगण को सुनवाई, जबाव, साक्ष्य का अवसर नहीं मिला है तथा न ही दावा का कभी अपीलांटगण का ज्ञान रहा है। हाल ही में दिनांक 14.06.2014 को रस्पोडेंट गंगाराम द्वारा सीमा ज्ञान करवाने पर मालुम हुआ तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण अपील पेश करने में हुई 01 वर्ष 04 माह की देरी सद्भाविक नहीं है। फिर भी इसका निस्तारण प्रस्तुत बहस एवं तथ्यों के आलोक में गुणावगुण के आधार पर भी किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 2 के अनुसार अपीलांटगण का सहखातेदारी का खेत खसरा संख्या 98 रकबा 281 बीघा था और इससे पूर्व ही रेस्पोडेंट संख्या 01 का खात संख्या 20 खसरा संख्या 431/98 रकबा 55.19 बीघा ए.सी.एम. बायतु के मुकदमा नंबर 102/2012 गंगाराम बनाम अलादीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2013 खातेदारी में पृथक कायम हो चुका था। अपीलांट के सहखातेदारी के खेत खसरा संख्या 98 रकबा 281 बीघा का सहमति से विभाजन हुआ जिसका अमल दरामद जरिये नामांतरण संख्या 634 दिनांक 07.09.2016 को हुआ जिसमें अपीलांट संख्या 1 अलादीन खां का खसरा संख्या 466/98 रकबा 42.03 बीघा तथा लक्ष्मणराम, सताराम, घेवरराम(अपीलांट संख्या 02), डूंगराराम पिता उदाराम इत्यादि का खसरा संख्या 98 रकबा 112.08 बीघा कायम हुआ। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड मौका फर्द दिनांक 14.06.2014 को रेस्पोडेंट संख्या 01 के खेत खसरा संख्या 431/98 रकबा 56.04 बीघा का उसको सीमाज्ञान करवाया गया। अपीलांट का यह कथन मान्य नहीं किया जा सकता कि अपीलाधीन निर्णय एकतरफा हुआ है क्योंकि रेस्पोडेंट के खेत की पृथक तरमीम हो जाने के पश्चात भी अपीलांटगण एवं उनके अन्य सहखातेदारों ने अपने खेत खसरा संख्या 98 रकबा 281 बीघा का आपसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सहमति से बंटवाड़ा करवाया। इस आपसी सहमति के बंटवाड़े से पूर्व प्रस्तुत हस्तगत अपील के विचाराधीन रहते उन्हे यह जानकारी भलीभांति थी। यह अपील भी रेस्पोडेंट के खेत की सीमाज्ञान कार्यवाही के पश्चात पेश की है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत एवं युक्तियुक्त होने से इसमें किसी प्रकार के दखल की आवश्यकता नहीं है। लिहाजा अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती।

अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर एवं सारहीन होने खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 102/2012 बअनवान गंगाराम बनाम अलादीन वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2013 यथावत रखा जाता है।

(नखतदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner